








(राज0)

नम्बर व
अहकाम
क्रम की
जारी है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकर्म में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 19.11.24 को पेश हो 	
19.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस दि 26.11.24 को पेश हो 	
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/12/24 को पेश हो 	
12/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकर्म में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 17/12/24 को पेश हो 	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित बहस प्राप्ति हुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दि 17-1-25 को पेश हो 	
17.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित ही समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली पूर्वदिनांकसार दिनांक 23-1-25 को पेश हो 	
23-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित बहस प्राप्ति में वकील प्राप्ति द्वारा दिने गए तर्कों पर मनन किया। वकील 	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

मैं अपने प्रार्थना पत्र में वरिष्ठ तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमान हेतु निवेदन किया।


प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट ली गयी तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार सेग्मीगेशन के दौरान खसरा संख्या 204 में गै.मु. सड़क दर्ज हो रहा है। जबकि भूमि वर्तमान में सड़क न होकर कृषि भूमि है जिले में पर कुंआ है तथा इससे इस भूमि की सिंचाई होती है अतः उक्त भूमि में खसरा संख्या 204 रुकबा 0.0324 हेक्टेयर में गै.मु. सड़क के हटिआंकन को दुरुस्त करमाकर उसी जगह चाही भूमि दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। बहल में वकील अर्ची द्वारा विधिगत तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि खसरा सं. 204 की विस्त गै.मु. सड़क न होकर चाही है अतः अर्ची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम खासपुरिया पटवार हल्का



बून्दी (रा)
न्यायालय
उपखण्ड
अधिकारी
नैनवां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>गम्भीरा की खाता सेरब्या नया 16 पुराना 14 की भूमि खसरा सेरब्या 204 रकबा 0.0324 का भूमि वर्गीकरण " गे.मु.सड़क " के स्थान पर " चाही 2 " का अंकन दुसरे करके के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते हैं निश्चि खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)</p>	